न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 163/2019
दायर दिनांक :– 28.06.2019

अनवान

1. श्रीमति अनोप देवी पत्नि देवकिशन धाकड नि. सियाणा तह. जहाजपुर
2. श्रीमति सुमित्रा पत्नि गोपाल धाकड नि. सियाणा तह. जहाजपुर
3. श्रीमति मोडी पत्नि रामस्वरूप धाकड नि. सियाणा तह. जहाजपुर
4. श्रीमति रामकन्या पत्नि शंभु धाकड नि. सियाणा तह. जहाजपुर

प्रार्थीगण..........

बनाम

1. श्री मगना पिता कनीराम धाकड नि. सियाणा तह. जहाजपुर
2. श्री भुवाना पिता छीतर धाकड नि. सियाणा तह. जहाजपुर
3. श्री शंकर पिता काना धाकड नि. सियाणा तह. जहाजपुर
4. श्री रामेश्वर पिता रामरतन धाकड नि. सियाणा तह. जहाजपुर
5. श्री लक्ष्मीनारायण पिता भैरू धाकड नि. सियाणा तह. जहाजपुर
6. श्री देवकरण पिता भैरू धाकड नि. सियाणा तह. जहाजपुर
7. श्री हीरालाल पिता भैरू धाकड नि. सियाणा तह. जहाजपुर
8. श्री देवकिशन पिता रामसुख धाकड नि. सियाणा तह. जहाजपुर

अप्रार्थीगण......

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान ले. रे. एक्ट ::

:: आदेश :: दिनांक 17.03.2020

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम सियाणा प0 ह0 फलासिया तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 सं0 66/3 रकबा 8.04 बीघा, आ.सं. 82/1 रकबा 10.08 बीघा, आ.सं. 81/2 रकबा 1.05 बीघा, आ.न 84/1 रकबा 1.01 बीघा, आ.न 83/2 रकबा 2.02 बीघा कुल किता 5 रकबा 23.00 बीघा भुमि स्थित है। जिसमे स्थायी सीमा की जानकारी नही होने से सीमाओं को लेकर विवाद है। जिसे स्थायी सीमा चिन्ह लगाने की मांग की।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 व विवाद बाबत शपथ पत्र पेश किया गया।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि ग्राम सियाणा प0 ह0 फलासिया तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 सं0 66/3 रकबा 8.04 बीघा, आ.सं. 82/1 रकबा 10.08 बीघा, आ.सं. 81/2 रकबा 1.05 बीघा, आ.न 84/1 रकबा 1.01 बीघा, आ.न 83/2 रकबा 2.02 बीघा कुल किता 5 रकबा 23.00 बीघा भुमि की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक बावडी का कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 2000 रू. तय किये जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 17.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2020.08.26 10:40:27 IST
Reason: SelfAttested